न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 249/2015

नेतराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी गांव बीरान तह. भादरा जिला हनुमानगढ़ हाल आबाद चक 10 के पी डी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर

—— **अपीलार्थी**

बनाम

1. मुन्शीराम पुत्र खेताराम जाति बावरी निवासी गांव ढ़ीगावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल चक 10 के एस डी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) घड़साना।

——**रेस्पोडेन्ट्स**

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश सहायक उपनिवेशन आयुक्त छतरगढ़
दिनांक 29.04.1978

उपस्थितिः–

श्री सुलतानसिंह बुडानिया अभिभाषक अपीलांट
श्री इकबालसिंह, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :– 29.09.2017**

अपीलांट द्वारा यह अपील सहायक उपनिवेशन आयुक्त छतरगढ़ के आदेश दिनांक 29.04.1978 के विरूद्ध पेश की है उक्त आदेश के द्वारा चक 10 के.एस. डी. के मु.न. 178/54 के कि.न. 2 से 4, 7, 8, 14 से 17, 24, 25 कुल 11 बीघा भूमि का आवटन रेस्पो. सं. 1 को किया गया है।

29/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

रेस्पों. सं. 1 को रजि. सम्मन से तलब किया गया था लेकिन उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर वकील अपीलांट की एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अपीलांट नेतराम पुत्र किशनाराम जाति जाट को उसके द्वारा प्रस्तुत आवंटन आदेश की छाया प्रति अनुसार दिनांक 30.12.1976 को आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट को कृषि भूमि का आवंटन किया गया था। आदेश की इबारत है कि " श्री नेतराम पुत्र किशनाराम जाट सा. बीरान त. भादरा, विषयः– राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय)नियम 1975 के अधीन कृषि भूमि का स्थाई आवंटन। प्रसंगः– आपका आवेदन दिनांक 12834, कृषि भूमि के स्थायी आवंटन के लिये आपके आवेदन पर विचार किया गया तथा उसे निम्नरूपेण स्वीकार किया जाता हैः– यह कि निम्नलिखित विवरण की भूमि आपको स्थाईरूप से आंवटित की गईः– चक 10 के.एस.डी. मु.न. 218/11 कि.न. 1 ता 6 क. 7, 8 अ.क., मु.न. 178/54 कि.न. 2 ता 4, 14 ता 17, 24, 25, 7, 8 की 11 बीघा क. कुल 19 बीघा। यह कि 17 क. 2 अ.क. 19 बीघा के माप वाली उक्त आवंटित भूमि की कीमत 20606–25 रूपये राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को या इससे पूर्व निम्नलिखित किश्तों में संदैय होगी "।

अपीलांट के कथनानुसार अपीलांट के उपरोक्त आवंटन आदेश आज दिनांक तक निरस्त नहीं हुआ है। उपरोक्त आदेश का आंशिक रूप से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद होकर ग्राम 10 के.पी.डी. पटवार हल्का 10 के.पी.डी. जमाबंदी संम्वत् 2069–72 के नया खाता न. 22 पुराना 66 में भूमि धारक का नाम के कॉलम में राज. सरकार काश्तकार के नाम के कॉलम में नेतराम वल्द किशनाराम कौम जाट सा. बिराणा खातेदार ई.न. 115 खातेदारी 11.2.10, प.न. 216/11 मु.न. 47 के कि.न. 1 से 8 की कुल किला 8 रकबा 2.0240 है0 राज रेकार्ड में अपीलांट के नाम दर्ज है। अर्थात उसे आवंटित भूमि चक 10 के.एस.डी. के मु.न. 218/11 के कि.न. 1 से 6 रकबा 6 बीघा एवं कि.न. 7 व 8 का रकबा

29/3/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

2 बीघा कुल 8 बीघा का तो राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद होकर अपीलांट खातेदार काश्तकार दर्ज है, परन्तु इसके साथ इसी आदेश में मु.न. 178/54 के कि.न. 2 से 4 रकबा 3 बीघा कि.नं. 7 व 8 का रकबा 2 बीघा कि.न. 14 से 17 रकबा 4 बीघा कि.न. 24 व 25 का रकबा 2 बीघा कुल 11 बीघा भूमि अपीलांट आवंटी के नाम न होकर रेस्पो. मुन्शीराम वल्द खेताराम कौम बावरी के नाम दर्ज है। जिसका विवरण ग्राम 10 के.पी.डी. पटवार हल्का 10 के.पी.डी. की जमाबंदी संम्वत् 2069–2072 के नया खाता नं. 36 पुराना 32 के कि.नं. 2 से 4, 7, 8, 14 से 25 की 11 किला 2.7830है0 रेस्पों. के नाम दर्ज है।

अपीलांट द्वारा रेस्पो. के नाम दर्ज होने की वजह बताई कि रेस्पों. मुन्शीराम को दिनांक 25.06.1976 को चक 7 के.डी. के मु.न. 131/58 के कि.न. 2 से 8 रकबा 7 बीघा व कि.न. 13 से 16 रकबा 4 बीघा कुल 11 बीघा भूमि आवंटित थी। परन्तु मौके पर विवाद होने की वजह रेस्पो. को दूसरी जगह 29.12.1976 को 9 के.डी. के मु.न. 132/5 के कि.न. 11 में 1 बीघा कि.न. 17 से 15 में रकबा 10 बीघा कुल 11 बीघा भूमि कर आंवटन किया गया। परन्तु भूमि पूर्व में आवंटित होने से रेस्पो. को तीसरी बार दिनांक 30.11.97 को पुनः 9 के.डी. में आवंटन हुआ परन्तु इस भूमि पर स्थगन आदेश होने से इस आवंटन को दिनांक 29.04.78 को निरस्त कर चक 10 के.एस.डी. में मु.न. 178/5 के कि.न. 2 से 4 रकबा 3 बीघा कि.न. 7 व 8 रकबा 2 बीघा कुल 11 बीघा चौथी बार रेस्पो. को भूमि आवंटन होना अधी.न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाऐ दिनांक 25.06.76, 28.12.76, 30.11.77, 29.04.78 से प्रमाणित है। अतः रेस्पों. को चौथी बार जो आवंटन होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड संधरित है उसमें रेस्पों. का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जबकि अपीलांट के कथनानुसार अपीलांट का आवंटन आज दिनांक तक खारिज नहीं हुआ है तथा रेस्पों. को वक्त आवंटन यह विवादित कृषि भूमि occupied रकबा था जो कि आवंटन योग्य नहीं होता। अतः रेस्पो. को किया गया आवंटन अवैध (illegal) आदेश है।

29/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलांट अभिभाषक द्वारा दौराने बहस अपील मीमों को दोहराया एवं न्याय सिद्धान्त आर.आर.डी. – 14.08.2017 पेज 534, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की एस.बी. सिविल याचिका सं. 4153/2014 श्रीमती भंवरी आदि बनाम राजस्व मण्डल आदि दिनांक 02.09.2015, आर.आर.डी. 2015 पेज 628, आर.आर.डी. 2016 पेज 68 मियाद के बिन्दु पर पेश किये जो संदर्भित होकर अपील की merits को मध्यनजर रखते हुए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र स्वीकार योग्य है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रस्तुत एस.बी.सिविल याचिका सं. 4153/2014 श्रीमती भंवरी आदि बनाम राजस्व मण्डल आदि निर्णय दिनांक 02.09.2015 की bare reading है कि " Lastly, coming to the question of limitation in filling the application seeking setting aside of the ex parte decree, it is to be noticed that the petitioners had pleaded that they had come to know about the passing of the decree only when they contacted the patwari concerned for the purpose of obtaining the kisan Credit Card against the land in question. Undoubtedly, the matter with regard to condonation of delay is discretion of the court. That apart, it is well settled that when the procedural techincalities and substantial justice are pitted against each other, the later has to be preferred over the former. Thus, taking into consideration the totality of the facts and circumstances of the case as discussed hereinabove, this court is of the opinion that te discretion exertion exercised by the trial court in condoning the delay cannot be faulted with and the same was not required to be interfered with by the Board of Revenue in exercise of its revisional jurisdiction.

In view of discussion above, the petition succeeds, it is hereby allowed. The order impugned dated 14.5.14 of the Board of Revenue Rajasthan, is set aside and the order dated 11.9.13 of Sub Divisional Officer, Churu, sitting aside the ex parte decree is restored. No order as to costs."

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया, प्रस्तुत न्याय सिद्धान्तों का अध्ययन किया। हालांकि इस न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 28.12.15 द्वारा रेस्पों. बावजूद

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

तामिली न्यायालय में उपस्थित नहीं आया। परन्तु प्राकृतिक न्याय की मांग है कि रेस्पों. का पक्ष पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों साक्ष्यों के अनुसार विवेचित है। " अपीलांट के कथन पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार यह प्रमाणित है कि अपीलांट को चक 10 के.एस.डी. के मु.न. 218/11 के कि.न. 1 से 6 बीघा कमांड 7, 8 की 2 बीघा अलकमांड कुल 8 बीघा के साथ आराजी विवादग्रस्त मु.न. 178/54 के कि.न. 2 से 4 की 3 बीघा 7 व 8 की 2 बीघा 14 से 17 की 4 बीघा 24, 25 की 2 बीघा कुल 19 बीघा कृषि भूमि का स्थायी (पुख्ता) आवंटन जरिये पत्रावली संख्या 12984/75 से किया गया था" तथा यह भी साबित है कि अपीलांट का आवंटन आज दिनांक निरस्त नहीं हुआ है। अतः आवंटन की पात्रता बरकरार है परन्तु आवंटन अनुसार भूमि प्राप्त नहीं हुई । दूसरी तरफ रेस्पों. अनु.जाति का व्यक्ति है जिन्हें भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 पठित मियाद अधिनियम 1963 के पार्ट iv का protection प्राप्त होने से उनसे कब्जा लिया जाना सम्भव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अपीलांट द्वारा वैकल्पिक अनुतोष के तहत चक 10 के.पी.डी.तहसील घडसाना के प.नं. 198/23 के कि.नं. 8, 10, 11, 24 की 3.17बीघा व प.नं. 198/15 के कि.नं. 6, 15, 25 की 2.17 बीघा एवं प.नं. 218/57 के कि.नं. 19 से 25 की 6.16 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का नियमानुसार अपीलांट को आवंटन करने का आदेश सम्बन्धित अधिकारी को दिया जावे।

अपीलांट द्वारा अधी.न्यायालय का आदेश दिनांक 29.4.78, 30.12.76 निरस्त करने की prayer निरस्त की जाती है शेष अपील अपीलांट आंशिक रूप सेस्वीकार की जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अपीलांट के claim का परीक्षण, पात्रता जांच जो भूमि आवंटन निरस्त किये बगैर अपीलांट के नाम अमलदरामद नहीं हुई है उसे निरस्त किया जाकर वैकल्पिक आवंटन चक 10 के.पी.डी. के प.न. 198/23 के कि.न. 8, 10, 11, 24 की 3.17 बीघा व प.न. 198/15 के कि.न. 6, 15, 25 की 2.17 बीघा एवं प.न. 218/57 के कि.न. 19 ता 25 की 6.16 बीघा में पात्रतानुसार अगर आवंटन योग्य, निर्बाध

29/8/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

कब्जा देने लायक एवं अन्य कोई कानूनी अड़चन न हो तो नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर